उच्चतम न्यायालय द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के परिप्रेक्ष्य में पारित आदेश दिनांक 8/02/2017 के पालन में प्रस्तुत किया जाने वाला

शपथ पत्र (नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित)

मैं ..... पिता ..... उम्र..... निवासी..... ग्राम.....
तहसील ..... जिला ..... म.प्र.

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूं / करती हुं कि :–

(1) मेरे स्वतंत्र / संयुक्त खाते की / मेरे पिता के स्वामित्व की / ग्राम .....तहसील..... ..... जिला ..... स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक ..... कुल धारित ..... हे. में से ..... हे. सरदार सरोवर परियोजना की डूब से प्रभावित होने के कारण शासन द्वारा अर्जित की गई है । डूब प्रभावित कृषि भूमि 25 प्रतिशत से अधिक होने से मुझे माननीय न्यायालय आदेशानुसार कुल राशि रू. 60 लाख पाने की पात्रता हैं।

(2) मैं पूर्व में भुगतान (मुआवजा + उदारीकृत पुनर्वास अनुदान + विशेष पुनर्वास अनुदान की प्रथम किश्त) कुल राशि रू. ...../– प्राप्त कर चुका हुं । अतः देय राशि रू. ..../– में से उक्त राशि रू...../– कम कर शेष राशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु सहमत हुं ।

(3) मुझे ज्ञात हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनाक 8–2–2017 के पैरा क. 7 के अनुसार उक्त राशि भुगतान मेरी वैकल्पिक भूमि की पात्रता के बदले फुल एंड फाइनल सेटलमेंट (Full and Final Settlement) राशि होगी ।

(4) भुगतान प्राप्ती के तत्काल पश्चात से अर्जित भूमि पर शासन का पूर्ण स्वामित्व होगा। एवं मैनें अर्जित भूमि / सम्पती रिक्त कर दी है अथवा 31–7–2017 से पूर्व में अर्जित भूमि / सम्पती रिक्त करने हेतु वचनबद्ध हुं।

गवाह
(1) .....
(2) .....

.....
शपथग्रहिता

सत्यापन लेख

मैं शपथग्रहिता सत्य प्रतिज्ञा पर कथन करता हुं / करती हुं कि उपरोक्त शपथ–पत्र के चरण 1 से लगाकर अन्त तक किया हुआ समस्त कथन मेरी निजि जानकारी से सत्य व सही हैं इसमें न कोई तथ्य छिपाया और न ही असत्य कथन किया है। यह सत्य प्रतिज्ञा लेख आज दिनांक को लिख दिया सो सही।

गवाह

(1) .....
(2) .....

.....
शपथग्रहिता